

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़  
 सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर 492002  
 ई-मेल-igcafphq.2011@gmail.com फोन नं. 0771-2434959, फैक्स नं. 0771-2434009

क्रमांक-पु.मु./अ.म.नि./छ.स.बल मुख्या./सेक्षन-3(भर्ती)/।-1009/23, दिनांक : 06/10/2023

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक एफ 2-04/2023/दो-गृह/रायपुर से नवा रायपुर, दिनांक 21.08.2023 के माध्यम से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल अन्तर्गत मेल नर्स, फिमेल नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिष्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, कम्पाउण्डर, ड्रेसर के कुल-50 (तकनीकी पद) रिक्त पदों को भरने की सहमति प्रदान की गई है। उक्त पत्र के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की वाहिनियों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के इच्छुक, पात्र पुरुष/महिला उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट [www.cgpolice.gov.in](http://www.cgpolice.gov.in) पर दिनांक 20/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

**(1) रिक्त पदों की संख्या :-**

सं. क्र.	पदनाम	रिक्त पद	अनारक्षि- त	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ.पि.व. (गैर-क्रीमीलेयर)	योग	वेतनमान
1.	मेल नर्स	10	4	1	3	2	10	वेतन मैट्रिक्स लेवल-7
2.	फिमेल नर्स	4	2	0	1	1	4	वेतन मैट्रिक्स लेवल-7
3.	लैब टेक्निशियन	1	1	0	0	0	1	वेतन मैट्रिक्स लेवल-7
4.	फार्मासिष्ट	13	5	2	4	2	13	वेतन मैट्रिक्स लेवल-4
5.	नर्सिंग असिस्टेंट	7	3	1	2	1	7	वेतन मैट्रिक्स लेवल-4
6.	कम्पाउण्डर	12	5	1	4	2	12	वेतन मैट्रिक्स लेवल-4
7.	ड्रेसर	3	1	0	1	1	3	वेतन मैट्रिक्स लेवल-4
	कुल -	50	21	5	15	9	50	

**नोट :-**

- आरक्षण :-विज्ञापित पदों में शासन के निर्देशानुसार पात्र भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10 % एवं छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए 30 % समस्तर एवं प्रभागवार आरक्षण होगा।
- विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है। आवश्यकतानुसार संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

**(2) प्रस्तावित भर्ती कार्यक्रम :-**

- |  |  |
|--|--|
| 1 ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि                       | 20/10/2023 (शुक्रवार)                  |
| 2 ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरकर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि | 30/11/2023 (गुरुवार) रात्रि 11.59 तक   |
| 3 परीक्षा शुल्क  | अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग - रु. 200/- |

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति - रु. 125/-

4 आवेदन-पत्र, प्रमाण-पत्र, दस्तावेजों की जांच

भर्ती कार्यक्रम की तिथि पृथक से निर्धारित किया जाकर सूचना समाचार पत्रों प्रकाशित की जावेगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश-पत्र एवं अन्य जानकारी पुलिस वेबसाईट [www.cgpolice.gov.in](http://www.cgpolice.gov.in) पर से प्राप्त कर सकेंगे।

5 चयन सूची जारी

उपरोक्तानुसार

(3) भर्ती केन्द्र :- आवेदन-पत्र, प्रमाण-पत्र, दस्तावेजों की जांच हेतु - 4धी वाहिनी छ.स.बल, माना, जिला-रायपुर।

(4) वेतनमान :- मेल नर्स :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (प्रारंभिक वेतन रु. 28,700/-)

फिमेल नर्स :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (प्रारंभिक वेतन रु. 28,700/-)

लैब टेक्निशियन :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (प्रारंभिक वेतन रु. 28,700/-)

फार्मासिस्ट :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 (प्रारंभिक वेतन रु. 19,500/-)

नर्सिंग असिस्टेंट :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 (प्रारंभिक वेतन रु. 19,500/-)

कम्पाउण्डर :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 (प्रारंभिक वेतन रु. 19,500/-)

इंड्रेसर :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 (प्रारंभिक वेतन रु. 19,500/-)

उपरोक्तानुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत देय भत्ते।

(5) निर्धारित आयु सीमा :-

i दिनांक 1-1-2023 को आधार मानकर अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक न हो।

ii यदि अभ्यर्थी आरक्षित प्रवर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिक से अधिक 5 वर्ष तक शिथिल की जावेगी।

iii छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम-4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों, जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हो, की उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

iv उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों, अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी :-

1. ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

2. ऐसा अध्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियोंमें कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ;
3. ऐसा अध्यर्थी, जो “छंटनी किया गया शासकीय सेवक” हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।
- v ऐसा अध्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।
- vi अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दंपत्तियों के संबंध पति/पत्नि के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- vii उत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये सामान्य अधिकतम आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- viii खेल नीति के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी परिपत्र के प्रावधान लागू रहेंगे।
- ix शहीद राजीव पाण्डे य पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रबीरचंद भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तअध्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयुसीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- x ऐसे अध्यर्थियों के संबंध में भी, जो उत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- xi स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान-कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जावेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

## (6) शैक्षणिक अर्हताएँ :-

मेल नर्स :- > अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता -12वीं कक्षा (10+2), जीव विज्ञान/भौतिक शास्त्र/रसायन शास्त्र विषय में उत्तीर्ण

> व्यावसायिक योग्यता -

- (एक) तीन वर्षीय मेडिकल पाठ्यक्रम जो उत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत है अथवा
- (दो) चार वर्षीय बी.एस.सी. नर्सिंग, अथवा
- (तीन) 3 वर्ष 6 माह (साढ़े तीन वर्षीय) जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग (जी.एन.टी.), अथवा
- (चार) तीन वर्षीय जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग।

➤ अन्य अर्हता एवं योग्यता - छः माह का इंटर्नशीप जिसका छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउन्सिल अथवा अन्य राज्यों के किसी अधिकृत नर्सिंग काउन्सिल से पंजीयन हो।

#### फिमेल नर्स :-

➤ अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता - 12वीं कक्षा (10+2), जीव विज्ञान/भौतिक शास्त्र/रसायन शास्त्र विषय में उत्तीर्ण

➤ व्यावसायिक योग्यता -

- (एक) तीन वर्षीय मेडिकल पाठ्यक्रम जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत है अथवा
- (दो) चार वर्षीय बी.एस.सी. नर्सिंग, अथवा
- (तीन) 3 वर्ष 6 माह (साढे तीन वर्षीय) जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग (जी.एन.टी.), अथवा
- (चार) तीन वर्षीय जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग एण्ड मिडवायफरी (जी.एन.एम.) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण

➤ अन्य अर्हता एवं योग्यता - छः माह का इंटर्नशीप जिसका छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउन्सिल अथवा अन्य राज्यों के किसी अधिकृत नर्सिंग काउन्सिल से पंजीयन हो।

#### लैब टेक्निशियन :-

➤ अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता - 12वीं कक्षा (10+2), जीव विज्ञान/भौतिक शास्त्र/रसायन शास्त्र विषय में उत्तीर्ण

➤ व्यावसायिक योग्यता - दस माह का या एक वर्षीय रोग विज्ञान टेक्निशियन पाठ्यक्रम (पैथोलॉजी टेक्निशियन) उत्तीर्ण या चिकित्सीय रोग विज्ञान में डिप्लोमा (डिप्लोमा इन मेडिकल पैथोलॉजी)।

#### फार्मासिस्ट :-

➤ अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता - 12वीं कक्षा (10+2), जीव विज्ञान/भौतिक शास्त्र/रसायन शास्त्र विषय में उत्तीर्ण

➤ व्यावसायिक योग्यता -

- (एक) फार्मासिस्ट का डिप्लोमा जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
- (दो) फार्मेसी कौसिल के फार्मासिस्ट के रूप में पंजीयन।

#### नर्सिंग असिस्टेंट :-

➤ अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता - 12वीं कक्षा (10+2), जीव विज्ञान/भौतिक शास्त्र/रसायन शास्त्र विषय में उत्तीर्ण

➤ व्यावसायिक योग्यता - एक वर्षीय पैरामेडिकल प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम, जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत है, के साथ पैरामेडिकल कार्यकर्ता (वर्कर) के रूप में पंजीकृत।

#### कम्पाउण्डर :-

➤ अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता - 12वीं कक्षा (10+2), जीव विज्ञान/भौतिक शास्त्र/रसायन शास्त्र विषय में उत्तीर्ण

➤ व्यावसायिक योग्यता -

- (एक) फार्मासिस्ट का डिप्लोमा जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
- (दो) फार्मेसी कौसिल के फार्मासिस्ट के रूप में पंजीयन।

#### ड्रेसर :-

➤ अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता - 12वीं कक्षा (10+2), जीव विज्ञान/भौतिक शास्त्र/रसायन शास्त्र विषय में उत्तीर्ण

➤ व्यावसायिक योग्यता - एक वर्धीय द्वे सर पाठ्यक्रम प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण, जो स्वास्थ्य संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

**नोट:-** अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अहंताओं, व्यावसायिक योग्यताओं एवं अन्य अहंताओं, योग्यताओं तथा अनुभव का "प्रमाण-पत्र" ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

(8) **छानबीन कार्यक्रम:-** अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दिये गये विवरण एवं समस्त प्रमाण-पत्रों/ दस्तावेजों की छानबीन की जावेगी।

(9) **अनुभव (20 अंक)** :-प्रत्येक पूर्ण 1 वर्ष के अनुभव के लिये 5 अंक अभिप्राप्त होंगे तथा इसकी अधिकतम सीमा 20 अंक होगी।

**नोट:-** अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त अनुभव का "प्रमाण-पत्र" ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

**टीप :-** आवेदन-पत्र भरते समय अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए बाद में दिया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(10) **चयन सूची :-** कुल 220 अंकों का होगा। सर्वप्रथम सभी संवर्गों के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदों के लिये मेरिट सूची तैयार की जायेगी, इस सूची में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित वर्गों के ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, जो मेरिट सूची के आधार पर पात्र हैं तथा अनारक्षित पदों के लिये पात्रता मानदंड भी पूरी करते हैं ऐसे अभ्यर्थियों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये विज्ञापित आरक्षित पदों के लिये जातिवार पृथक-पृथक मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

(11) **स्वास्थ्य परीक्षण :-** अभ्यर्थियों को इकाई में आमद देने के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण करवाना होगा जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है।

(12) **परिवीक्षा अवधि :-** चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(13) **अहंताएँ एवं अनहंताएँ :-**

- i आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत किसी भी जिले का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
- ii आवेदक का ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले के जिला गोपनीय कार्यालय में निरंतर पंजीयन/वर्तमान में पंजीयन (जीवित पंजीयन) होना आवश्यक है।

- iii अध्यर्थी का आचरण एवं पिछला रिकार्ड अच्छा होना चाहिये ।
- iv अध्यर्थी की ओर से अपनी अध्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राप्तिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए उसे निरहित माना जा सकेगा।
- v कोई भी पुरुष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे स्वयंप्रिय से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।
- vi किसी भी उम्मीदवार को सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाये, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाये।
- vii कोई भी उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसी कि आवश्यक समझी जाये, नियुक्ति प्राप्तिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि वह सेवा या पद के लिये किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
- viii कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- ix आवेदक को आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ-ही निर्धारित अन्य अर्हता एवं योग्यता होना अनिवार्य है।

#### (14) अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र :-

भर्ती के लिये इच्छुक अध्यर्थी दस्तावेज चेकिंग दिनांक को मूल दस्तावेजों के साथ स्वयं के द्वारा सत्यापित निर्भावित प्रमाण-पत्रों एवं अंक सूचियों की प्रतिलिपियाँ तथा 02 छायाचित्र (नवीनतम पासपोर्ट साईज) संबंधित भर्ती केन्द्र में प्रस्तुत करें :-

1. ऑनलाइन जमा किये गये आवेदन-पत्र की प्रति।
2. शैक्षणिक योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्र।
3. व्यावसायिक योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्र।
4. अन्य अर्हता एवं योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्र।
5. संबंधित आवेदित पद {मेल नर्स/फिमेल नर्स/लैब टेक्निशियन/फार्मासिस्ट/नर्सिंग असिस्टेंट/कम्पांडर/इंसेर} का अनुभव प्रमाण-पत्र
6. जन्मतिथि प्रमाणीकरण हेतु आवेदित पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंकसूची (जन्मतिथि अंकित हो)
7. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र।
8. जो अध्यर्थी इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो उन्हें सक्षम प्राप्तिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
10. शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
11. विज्ञापन के विन्दु क्रमांक-15 (10) के संबंध में स्व धोषणा पत्र/वचन-पत्र अथवा नियुक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा भूतपूर्व सैनिक का लाभ प्राप्त कर वर्तमान में सेवा में नहीं है तो तत्संबंधी प्रमाण-पत्र।

### (15) महत्वपूर्ण :-

1. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. आवेदन-पत्र के बल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डॉक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
3. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता विभाग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। मूल प्रमाण-पत्रों की जांच हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही विभाग पात्रता शर्तों की जांच करता है एवं तदानुसार ही नियुक्ति हेतु अर्ह माने जावेंगे।
4. अनुशासन एवं नियंत्रण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अध्यधीन होंगे तथा नियुक्त कर्मचारी नियोक्ता के नियंत्रण में कार्य करेंगे।
5. चयनित कर्मचारी की नियमानुसार सेवायें या तो कर्मचारी द्वारा नियोक्ता अधिकारी को या नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह का वेतन भुगतान कर किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
6. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति को होगा।
7. चयन, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के S.L.P.(C) No. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।
8. भर्ती वावत् कोई भी विधि संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा।
9. शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियम/निर्देश मान्य होंगे जो विभाग को लागू हो।
10. भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण अनुसार शासकीय सेवा में यदि नियुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो उस नियुक्ति के पूर्व उसके द्वारा विभिन्न पदों के लिए किए गए आवेदनों में आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा, किन्तु इसके लिए उसे नियुक्ति के समय नियोक्ता को पूर्व में किए गए विभिन्न आवेदनों के तिथिवार विवरण के संबंध में स्व घोषणा पत्र/वचन-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् किए जाने वाले आवेदनों में उसे पुनः आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि भूतपूर्व सैनिक, आरक्षण का लाभ प्राप्त कर शासकीय सेवा में नियुक्त है तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि भूतपूर्व सैनिक, आरक्षण का लाभ प्राप्त कर शासकीय सेवा में नियुक्त होने के पश्चात् वर्तमान में सेवा में नहीं है तो तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
12. ऑनलाइन आवेदन करने की विधि संबंधी विवरणिका वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे पूर्णरूपेण पढ़ने के बाद ही फार्म भरा जाये। त्रृटिपूर्ण एवं अधूरे भरे फार्म अमान्य कर दिये जावेंगे।
13. तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में पुरुष विकल्प भरे जाने की स्थिति में पुरुष अभ्यर्थियों के निर्धारित शर्तें लागू होंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी की भर्ती पुरुष अभ्यर्थी के विरुद्ध होगी। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में महिला विकल्प भरे जाने की स्थिति में महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शर्तें लागू होंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी की भर्ती महिला अभ्यर्थी के विरुद्ध होगी। तृतीय लिंग के अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में तृतीय लिंग विकल्प भरे जाने की स्थिति में महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शर्तें लागू होंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी की भर्ती महिला अभ्यर्थी के विरुद्ध होगी।
14. भर्ती संबंधी अद्यतन विस्तृत जानकारी, समस्त प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की जांच हेतु प्रवेश-पत्र की उपलब्धता छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट [www.cgpolice.gov.in](http://www.cgpolice.gov.in) में देखा एवं डाउनलोड किया जा सकेगा।

१०६।।०१।२०२३  
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक  
छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल  
हेतु-पुलिस महानिदेशक